अनुशेषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, पाचोरा जि. जळगाव येथील इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक व आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.

**महाराष्ट्र शासन**

**सार्वजनिक आरोग्य विभाग**

**शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०१९/प्र.क्र.२३९/आरोग्य ३**

१० वा मजला, संकुल इमारत,
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१.
दिनांक : १९ सप्टेंबर, २०१९.

**वाचा :**

१) **सहसंचालक आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/कक्ष-३ /टे-६/ग्रारुपाचोरानविइमाबाधकाम /४५१८-१९/१९, दिनांक १६.०३.२०१९.**

**प्रस्तावना :**

**अनुशेषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, पाचोरा जि. जळगाव येथील इमारत बांधकामाचे रु.१४.३५ कोटी एवढ्या रक्कमेच्या कामाचे अंदाजपत्रक व नकाशांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता.**

**शासन निर्णय :**

२. अनुशेषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, पाचोरा जि. जळगाव येथील इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रक उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पाचोरा यांनी तयार केले आहेत. सदर अंदाजपत्रकामध्ये रुग्णालयाच्या बांधकामासह (३३१९.२ चौ.मी.) फ्युल गॅस पाईपलाईन, बायो डायझेस्टर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सौर छप्पर, संरक्षण भिंत, व गेट, विदयुतीकरण, पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण, आग प्रतिबंधक, अंतर्गत रस्ते, भू-विकास, ड्रेनेज, पार्कींग व वातानकुलीत यंत्रणा इ.साठी तरतूद करण्यात आल्या असून सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation Sheet नुसार रु.१४.६७ कोटी इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शर्तींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :-

**अटी व शर्ती :-**

१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्यक राहील.
२) बांधकाम सुरु करण्यापुर्वी सदर नकाशा वास्तुशास्त्रज्ञ, सा.बा.विभाग नाशिक यांचेकडून मंजुर करुन घ्यावे.

३) सदर कामाची निविदा काढतांना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व कामांसाठी एकच निविदा काढण्यात यावी.

४) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्यात्या- भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत.

५) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून चकरण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना आरोग्य खात्याच्या त्यात्या- आरोग्य सेवा मंडळाच्या उप संचालकांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात.

६) सदरचे काम नवीन नमुना नकाशांप्रमाणे करावयाचे झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाने नियुक्त केलेल्या खाजगी वास्तुशास्त्रज्ञामार्फत नकाशांप्रमाणे वास्तुमांडणी आराखडा मंजूर करुन घेण्यात यावा. तसेच स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सदर नवनियुक्त वास्तुशास्त्रज्ञ व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. तसेच ही परवानगी मागण्यासाठीचा पत्रव्यवहार जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या स्वाक्षरीने करण्यात यावा.

७) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य/ उपमुख्य वास्तुशास्त्रज्ञाकडून या कामांच्या नकाशे व वास्तुमांडणी आराखड्यांना वेगळ्या मंजूरीची आवश्यकता नाही.

८) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी.

९) उपरोक्त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी.

३. अनुशेषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, पाचोरा जि. जळगाव येथील इमारत बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात यावा.

४. अनुशेषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालय, पाचोरा जि. जळगाव येथील इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा.

५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये

प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.३४५/१९/इमा-२ दि.२५.०७.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१७१५४६३२१४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Roshani Dinesh Kadam Patil

Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam Patil
DN: CN = Roshani Dinesh Kadam Patil, C = IN, S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = Public Health Department
Date: 2019.09.19 16:37:00 +05'30'

**( रो.दि. कदम पाटील )**
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर.
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई.
३. संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती.
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई.
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नाशिक
६. जिल्हा शल्य चिकित्सक जिल्हा रुग्णालय, जळगाव.
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव.
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.जळगाव.
९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई.
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३).

Name of the Department : PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

Name of Work : Construction of 30 Beded Hospital at Pachora, Tal-Pachora, Dist. Jalgaon.

## RECAPITULATION SHEET

| Sr. No. | Particulars of Scope | Unit Rate Norms Rs Per (Sqmt./Meter/LumpSum etc.) | Cost Rs. Component Wise | Cost Rs. Total |
|---|---|---|---|---|
| (A) | **ESSENTIAL ITEMS (Components)** | | | |
| 1 | **(a) Building proper (Built Up Area - Sq.m)** Total Area | 3319.2 27500 | 91278000 | |
| | **Total B.U.A. =** | | **Sub Total (a)** | **9,12,78,000** |
| | (b) Fuel Gas Pipeline | | 10000 | |
| | (c) Bio Digester | | 100000 | |
| | (d) Rain/ Roof Water Harvesting | | 500000 | |
| | (e) Solar Roof Top (MoU to be executed)* | | 100000 | |
| | (f) Ramp For Handicaps | | | |
| | | **Sub Total (b+c+d+e+f+g)** | | **7,10,000** |
| 2 | Water Supply & Sanitary Works | 5% of (a) | **Sub Total (2)** | **45,63,900** |
| 3 | Electrification Internal | 5% of (a) | 45,63,900 | |
| | External | 6% of (a) | 54,76,680 | |
| | Fire Fighting Arrangements etc. | | 5,00,000 | |
| | | | **Sub Total (3)** | **1,05,40,580** |
| | | **Sub Total (A)** | | **10,70,92,480** |
| (B) | **MISCELLANEOUS ITEMS** | | | |
| | (i) Compound Wall & Gate (Rmt) | | 20,00,000 | |
| | (ii) Internal Roads (Rmt) | | 25,00,000 | |
| | (iii) Development of Ground | | 300000 | |
| | (iv) Parking | | | |
| | (v) Retaining Wall | | 0 | |
| | (vi) Land Scaping | | | |
| | (vii) Soil Investigations & Detail Land Survey | | 100000 | |
| | (viii) CC Drains and C/D Works | | 500000 | |
| | | | **Sub Total (B)** | **54,00,000** |
| | | **Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B)** | | **11,24,92,480** |
| (C) | **OPTIONAL ITEMS** | | | |
| 1 | Undergound Water Tank for R/W Harvesting (Cu.M) | | 500000 | |
| 2 | Water Main Storage, and pump house, bore well | | 500000 | |
| 3 | Air Conditioning | | 0 | |
| 4 | Lifts | | 0 | |
| 5 | External Toilets | | | |
| 6 | AB Room, Area lighting, Pumps, Generator | | 100000 | |
| 7 | CCTV | **Sub Total (C)** | **1100000** | |
| | | **Project Cost (P)= (A) + (B) + (C)** | | **11,35,92,480** |
| (D) | **PROVISIONS** | | | |
| | | **(i) Contingencies 4% on (a)** | **36,51,120** | |
| | | **(ii) Green Building 5% on (a)** | **45,63,900** | |
| | | **(iii) GST 12% on (P)** | **1,36,31,098** | |
| | | **(iv) Price Escalation 10% on (P)** | **1,13,59,248** | |
| | | **Sub Total (D)** | | **3,32,05,366** |
| | | **TOTAL COST OF PROJECT (TPC) (A+B+C+D)** | | **14,67,97,846** |
| | | **Say Rs. Lakhs** | **1467.97** | |

**PLINTH AREA RATES FOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) Bldg Proper Cost | '= | Rs | 27500 /Sqm |
| (ii) Elect. Work | '= | Rs | 3175 /Sqm |
| (iii) Water Supply | '= | Rs | 1676 /Sqm |
| (iv) For (i) + (ii) + (iii) | '= | Rs | 32351 /Sqm |

(v) Total Project Cost = TPC ÷ Area (as per "a") 44227 /Sqm

* No expenditure of Govt. involved as will be installed by entrepreneur and reduced energy bills will be paid by user departments to the entrepreneur as repayment for the expenditure incurred on the installation.